रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2565] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 5, 2017/भाद्र 14, 1939
No. 2565] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 5, 2017/BHADRA 14, 1939

lMd ifjogu vkj jkt ekxZ e=ky;

vf/klwpuk

नई दिल्ली, 5 सितम्बर, 2017

का.आ. 2925(अ).—यतः, केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 486(अ), तारीख 28.02.2013 द्वारा हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 के 5.000 कि.मी. से 241.580 कि.मी. (अंबाला–कैथल–नरवाना–हिसार–हरियाणा–राजस्थान सीमा) तक का खण्ड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'प्राधिकरण' संदर्भित किया गया है को सौंपा है);

और यतः, प्राधिकरण ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 14 के प्रावधान के अनुसरण में हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग 65 (नया रारा–152) के 33.250 किमी (विद्यमान चैनेज) {डिजाइन चैनेज (–) 0.500 किमी} से 241.580 किमी (विद्यमान चैनेज) (डिजाइन चैनेज 165.759 किमी) तक कैथल–राजस्थान सीमा सेक्शन (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त खंड संदर्भित किया गया है) के रारविप चरण–IV के अंतर्गत डिजाइन, निर्माण, वित्त, प्रचालन और हस्तान्तरण (डीबीओएफटी) आधार पर सार्वजनिक निजी भागीदारी द्वारा चार लेन के विकास हेतु 03.04.2014 को प्रस्तुत बोली के लिए मैसेर्स कैथल टोलवेज प्राइवेट लिमिटेड, आई आर बी कॉम्प्लेक्स, चांदीवली फार्म, चांदीवली गांव, अंधेरी (पूर्व), मुंबई–400072 के साथ करार किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात रियायतग्राही संदर्भित किया गया है),

और यतः, केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 जिसे सा.का.नि. 838(अ), तारीख 5 दिसम्बर 2008 द्वारा प्रकाशित किया गया था और जिसे सा.का.नि. 950(अ), तारीख 3.12.2010, सा.का.नि. 15(अ), तारीख 12.01.2011, और सा.का.नि. 756(अ), तारीख 12.10.2011, द्वारा संशोधित किया गया था के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8क द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त खंड के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन पर व्यय, निवेशित पूंजी पर ब्याज, युक्तियुक्त प्रत्यागम, यातायात का दबाव और प्राधिकरण और रियायतग्राही के बीच हुए करार की अवधि को ध्यान में रखते हुए, एतदद्वारा यह सूचित करती है कि यांत्रिक वाहनों पर उक्त खंड के चार और अधिक के लेन के खण्डों के उपयोग के लिए सड़क की निवल लंबाई 113.909 किमी के उपयोग हेतु सारिणी 1 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट दर पर (जिसे इसमें इसके पश्चात् "आधार दर" संदर्भित किया गया है) और बाइपासों जिनकी कुल लंबाई 52.350 कि.मी है के उपयोग के लिए नीचे सारणी–1 के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट प्रकार के वाहनों पर आधार दर के डेढ़ गुना की दर पर शुल्क उद्ग्रहीत किया जाएगा और उक्त रियायतग्राही को प्राधिकरण द्वारा घोषित

वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख को और उस तारीख से अथवा इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, जो भी बाद में हो, उक्त करार के अनुसार, समापन की तारीख तक शुल्क को संग्रहीत तथा प्रतिधारित करने हेतु प्राधिकृत करती है;

lkj.kh 1

okgu dk çdkj	vk/kkj o"k 2007&08 d: fy, i:fr fd-eh- 'kYd dh vk/kkj nj ¼#i, e½
¼1½	¼2½
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी संनिर्माण मशीनरी (भां.सं.म.) या अर्थ मूविंग उपस्कर (अ.मू.उ.) या बहुधुरीय वाहन (ब.धु.वा.) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात या अधिक धुरी वाले)	4.20

1. नीचे उद्ग्रहीत एवं संग्रहीत शुल्क, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा(प्लाजाओं) पर, ऐसे शुल्क प्लाजा(प्लाजाओं) के लिए विनिर्दिष्ट सड़क की निवल लम्बाई हेतु शोध्य और संदेय होगाः

शुल्क प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	लम्बाई (किलोमीटर में) जिसके लिए शुल्क संदेय है	दर जिस पर शुल्क संदेय है
36.776 किमी, (डिजाइन चैनेज)(विद्यमान चैनेज 125.790 किमी) (जींद जिले में नरवाना गाँव के पास)	47.650	ऊपर सारणी 1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%
87.000 किमी, (डिजाइन चैनेज) (विद्यमान चैनेज 171.580 किमी) (हिसार जिले में बड़ोपट्टी गाँव के पास)	32.350	ऊपर सारणी 1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%
135.900 किमी, (डिजाइन चैनेज) (विद्यमान चैनेज 212.400 किमी) (हिसार जिले में चौधरीवास गाँव के पास)	33.909	ऊपर सारणी 1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित बाइपास (बाइपासों), जिनकी लागत 10 करोड़ स्पए अथवा अधिक है, के उपयोग के लिए निम्नलिखित टोल प्लाजा (प्लाजाओं) पर, ऐसे टोल प्लाजा (प्लाजाओं) के लिए विनिर्दिष्ट बाइपास (बाइपासों) की लंबाई हेतु आधार दर के डेढ़ गुना के हिसाब से, शुल्क भी शोध्य और संदेय होगाः

शुल्क प्लाजा (प्लाजाओं) का अवस्थान (चैनेज)	चैनेज के साथ बाइपास का नाम	लम्बाई (कि.मी. में)	दर जिस पर शुल्क संदेय है
36.776 किमी, (डिजाइन चैनेज) (विद्यमान चैनेज 125.790 किमी) (जींद जिले में नरवाना गाँव के पास)	कालायत बाइपास 15.100 किमी (डिजाइन चैनेज) (रारा– 65 के विद्यमान चैनेज 103.280 किमी और नए रारा–152 के 18.120 किमी) पर से शुरू होकर और 18.550 किमी (डिजाइन चैनेज) (रारा– 65 के विद्यमान चैनेज 106.100 किमी और नए रारा–152 के 15.300 किमी) पर मिलते हुए	3.450	ऊपर सारणी 1 में उल्लिखित आधार njk dk 150%
36.776 किमी, (डिजाइन चैनेज) (विद्यमान चैनेज 125.790 किमी) (जींद जिले में नरवाना गाँव के पास)	नरवाना बाइपास 30.500 किमी (डिजाइन चैनेज) (रारा– 65 के विद्यमान चैनेज 117.990 किमी और नए रारा–152 के 3.410 किमी) पर से शुरू होकर और 32.400 किमी (डिजाइन चैनेज) (रारा– 65 के विद्यमान चैनेज 121.400 किमी और नए रारा–152 के 0.000 किमी) पर मिलते हुए	1.900	ऊपर सारणी 1 में उल्लिखित आधार njk dk 150%
36.776 किमी, (डिजाइन चैनेज)(विद्यमान चैनेज 125.790 किमी) (जींद जिले में नरवाना गाँव के पास)	धानौधा बाइपास 46.300 किमी (डिजाइन चैनेज) (रारा– 65 के विद्यमान चैनेज 135.350 किमी) पर से शुरू होकर और 50.100 किमी (डिजाइन चैनेज) (रारा– 65 के विद्यमान चैनेज 138.060 किमी) पर मिलते हुए	3.800	ऊपर सारणी 1 में उल्लिखित आधार njk dk 150%
87.000 किमी, (डिजाइन चैनेज) (विद्यमान चैनेज 171.580 किमी) (हिसार जिले में बड़ोपट्टी गाँव के पास)	बरवाला बाइपास 70.100 किमी (डिजाइन चैनेज) (रारा– 65 के विद्यमान चैनेज 158.150 किमी) पर से शुरू होकर और 77.950 किमी (डिजाइन चैनेज) (रारा– 65 के विद्यमान चैनेज 162.540 किमी) पर मिलते हुए	7.850	ऊपर सारणी 1 में उल्लिखित आधार njk dk 150%

87.000 किमी, (डिजाइन चैनेज) (विद्यमान चैनेज 171.580 किमी) (हिसार जिले में बड़ोपट्टी गाँव के पास)	हिसार और तलवंडी राणा बाइपास 96.500 किमी (डिजाइन चैनेज) (रारा— 65 के विद्यमान चैनेज 181.100 किमी) पर से शुरू होकर और 122. 400 किमी (डिजाइन चैनेज) (रारा— 65 के विद्यमान चैनेज 198.900 किमी) पर मिलते हुए	25.900	ऊपर सारणी 1 में उल्लिखित आधार njk dk 150%
135.900 किमी, (डिजाइन चैनेज) (विद्यमान चैनेज 212.400 किमी) (हिसार जिले में चौधरीवास गाँव के पास)	बरवा बाइपास 138.350 किमी (डिजाइन चैनेज) (रारा— 65 के विद्यमान चैनेज 214.850 किमी) पर से शुरू होकर और 141.650 किमी (डिजाइन चैनेज) (रारा— 65 के विद्यमान चैनेज 217.500 किमी) पर मिलते हुए	3.300	ऊपर सारणी 1 में उल्लिखित आधार njk dk 150%
135.900 किमी, (डिजाइन चैनेज) (विद्यमान चैनेज 212.400 किमी) (हिसार जिले में चौधरीवास गाँव के पास)	सिवनी बाइपास 143.500 किमी (डिजाइन चैनेज) (रारा— 65 के विद्यमान चैनेज 219.350 किमी) पर से शुरू होकर और 149.650 किमी (डिजाइन चैनेज) (रारा— 65 के विद्यमान चैनेज 225.340 किमी) पर मिलते हुए	6.150	ऊपर सारणी 1 में उल्लिखित आधार njk dk 150%

3 .जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन, गैर—वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह टोल प्लाजा से बीस किलोमीटर तक की दूरी में ही रहता हो, उसके लिए वर्ष 2016 —17 के लिए मासिक पास की दर 235.00/— रूपए (दो सौ पैंतीस रूपए मात्र) होगी और राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के उपबंधों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जायेगा ।

4. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जाएगा, अर्थातः

संदेय राशि	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	विधिमान्यता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	संदाय के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल या उससे अधिक यात्राओं के लिए संदेय शुल्क की राशि का दो—तिहाई	पचास या उससे अधिक	संदाय की तारीख से एक मास

IndiaCode

5. जिस जिले में शुल्क प्लाजा पड़ता है उस जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के लिए वाहन के लिए निर्धारित शुल्क का 50% होगा बशर्ते के ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो ।

6. जो यांत्रिक वाहन अपनी श्रेणी के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदा हुआ होगा उसके चालक अथवा मालिक अथवा प्रभारी व्यक्ति को ऐसे अधिक भार से लदे हुए वाहन को राष्ट्रीय राजमार्ग में प्रवेश कराने के लिए शुल्क संग्रहण एजेंसी को ऐसी श्रेणी के यांत्रिक वाहनों के लिए लागू शुल्क के दस गुना के बराबर शुल्क का भुगतान करना होगा और उसे राजमार्ग खण्ड का उपयोग करने की तब तक अनुमति नहीं होगी जब तक कि ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार को हटा नहीं दिया जाए।

7. यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट—प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी ।

8. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा ।

9. ऊपर सारिणी—1 में यथा – उल्लिखित आधार वर्ष 2007—08 के लिए प्रति किलोमीटर शुल्क की आधार दर के आधार पर, यांत्रिक वाहनों से लिए जाने वाले वास्तविक शुल्क और छूट की गणना राजमार्ग परियोजना के पूरे कर लिए गए भाग की लंबाई के आधार पर प्राधिकरण द्वारा की जाएगी और उसे प्राधिकरण द्वारा रियायतग्राही के माध्यम से से अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के कम—से—कम एक—एक समाचार पत्र में प्रकाशित करवाया जाएगा और तत्पश्चात उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार तथा रियायतग्राही के साथ हुए करार के प्रावधान के अनुसार उसमें वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा और प्रकाशित किया जाएगा, परंतु शर्त यह है कि शुल्क में पिछली बार कि गयी वृद्धि की तारीख से 6(माह) कि अवधि के भीतर कोई संशोधन नही किया जाएगा।

[फा. सं. भाराराप्रा/13013/760/सीओ/14—15/जीसी—कैथल—राजस्थान सीमा सेक्शन—बीओटी]
दक्षिता दास, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th September, 2017

S.O. 2925(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 486 (E), dated 28.02.2013, issued under Section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretch from km 5.000 to km 241.580 (Ambala-Kaithal-Narwana-Hissar-Haryana/Rajasthan Border of National Highway No. 65 in the State of Haryana to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the "Authority");

And whereas, pursuant to the provision of Section 14 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Authority has entered into an Agreement (hereinafter referred to as said agreement) with M/s Kaithal Tollway Pvt. Ltd., IRB Complex, Chandivali Farm, Chandivali Village, Andheri (East), Mumbai- 400072 (hereinafter referred to as the "Concessionaire"), for the bid submitted on 03.04.2014 for the development of Kaithal – Rajasthan Border section from km 33.250 (existing chainage) {design chainage km (-)0.500} to km 241.580 (existing chainage) (design chainage km 165.759) (hereinafter referred to as the "said section") of the NH-65 (New NH-152) in the state of Haryana to four lane through Public Private Partnership under NHDP Phase-IV on Design, Build, Finance, Operate and Transfer (DBFOT) basis;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 published vide G.S.R 838(E) dated 5th December, 2008 and amended vide G.S.R 950(E) dated 03.12.2010, G.S.R 15(E) dated 12.01.2011and G.S.R 756(E) dated 12.10.2011, the Central Government, having regard to the expenditure involved in building, maintenance, management and operation of the said Section of said National Highway, interest on the capital invested, reasonable return, the volume of traffic and the period of said agreement between the Authority and the Concessionaire, hereby notifies that there shall be levied and collected fees on mechanical vehicles at the rate specified in column (2) of the Table 1 for net road section length of 113.909 km for use of four and more lane sections (hereinafter referred to as "base rate") and at one and one half times the base rate for bypasses having an aggregate length of 52.350 km on the Type of Vehicles specified in column (1) of the Table 1 below and authorizes the said Concessionaire to collect and retain the fee on and from the date of Commercial Operation (COD) and on getting the Completion Certificate or the Provisional Certificate, as the case may be, from the Authority or publication of this Notification in the Official Gazette, whichever is later, till the termination date as specified in the agreement;

TABLE 1

Type of vehicle	Base rate of fee per km* for NH section of four or more lanes for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Toll Plaza(s) for the distance specified for such Toll Plaza(s):

Location of Toll Plaza(s) (chainage)	Length (in km) for which Fee is payable	Rate at which Fee is payable
Km. 36.776 (design chainage) (Existing chainage km 125.790) (near Narwana village in Jind district)	47.650	100% of the base rates mentioned in Table-1 above
Km. 87.000 (design chainage) (Existing chainage km 171.580) (near Badopatti village in Hissar district)	32.350	100% of the base rates mentioned in Table-1 above
Km. 135.900 (design chainage) (Existing chainage km 212.400) (near Chaudhriwas village in Hissar district)	33.909	100% of the base rates mentioned in Table-1 above

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following bypass(es) costing more than Rs. 10 crores at the following Toll Plaza(s) at one and half times of the base rate mentioned in Table-1 above for the length of bypass(es) specified for such Toll Plaza(s):

Location of Toll Plaza (chainage)	**Names of Bypass with Chainage**	**Length (in Km.)**	**Rate at which fee is payable**
Km. 36.776 (design chainage) (Existing chainage km 125.790) (near Narwana village in Jind district)	Kalayat Bypass taking off at km. 15.100 (design chainage) (existing chainage km 103.280 of NH-65 and km 18.120 of New NH-152) and joining at km. 18.550 (design chainage) (existing chainage km 106.100 of NH-65 and km 15.300 of New NH-152)	3.450	150% of base rates mentioned in Table-1 above
Km. 36.776 (design chainage) (Existing chainage km 125.790) (near Narwana village in Jind district)	Narwana Bypass taking off at km. 30.500 (design chainage) (existing chainage km 117.990 of NH-65 and km 3.410 of New NH-152) and joining at km. 32.400 (design chainage) (existing chainage km 121.400 of NH-65 and km 0.000 of New NH-152)	1.900	150% of base rates mentioned in Table-1 above
Km. 36.776 (design chainage) (Existing chainage km 125.790) (near Narwana village in Jind district)	Dhanaudha Bypass taking off at km. 46.300 (design chainage) (existing chainage km 135.350 of NH-65) and joining at km. 50.100 (design chainage) (existing chainage km 138.060 of NH-65)	3.800	150% of base rates mentioned in Table-1 above
Km. 87.000 (design chainage) (Existing chainage km 171.580) (near Badopatti village in Hissar district)	Barwala Bypass taking off at km. 70.100 (design chainage) (existing chainage km 158.150 of NH-65) and joining at km. 77.950 (design chainage) (existing chainage km 162.540 of NH-65)	7.850	150% of base rates mentioned in Table-1 above
Km. 87.000 (design chainage) (Existing chainage km 171.580) (near Badopatti village in Hissar district)	Hisar & Talwandi Rana Bypass taking off at km. 96.500 (design chainage) (existing chainage km 181.100 of NH-65) and joining at km. 122.400 (design chainage) (existing chainage km 198.900 of NH-65)	25.900	150% of base rates mentioned in Table-1 above
Km. 135.900 (design chainage) (Existing chainage km 212.400) (near Chaudhriwas village in Hissar district)	Barwa Bypass taking off at km. 138.350 (design chainage) (existing chainage km 214.850 of NH-65) and joining at km. 141.650 (design chainage) (existing chainage km 217.500 of NH-65)	3.300	150% of base rates mentioned in Table-1 above

Km. 135.900 (design chainage) (Existing chainage km 212.400) (near Chaudhriwas village in Hissar district)	Siwani Bypass taking off at km. 143.500 (design chainage) (existing chainage km 219.350 of NH-65) and joining at km. 149.650 (design chainage) (existing chainage km 225.340 of NH-65)	6.150	150% of base rates mentioned in Table-1 above

3. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the toll plaza is Rs. 235.00 (Rupees Two Hundred Thirty Five only) for the year 2016-17 which is subject to revision every year as per the provisions of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008.

4. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely;

Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty or more single journeys	Fifty or more	One month from date of payment

5. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under national permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the prescribed rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

6. The driver or owner or a person in charge of a Mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the toll collecting agency, equal to ten times of the fee applicable to such category of mechanical vehicle and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

7. All definitions, category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the Rules.

8. The Fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rules 12 of the said Rules.

9. Based on the Base Rate of Fee per km for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of completed length of the Project Highway. The same shall be got published by the Authority through the Concessionaire in at least one newspaper, each in English and vernacular language and thereafter revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and provision of Concession Agreement and got published, provided that no revision shall be effected within a period of 6 (six) months from the date of the preceding revision of Fee.

[F. No. NHAI/13013/760/CO/14-15/GC/ Kaithal-Rajasthan Border Section - BOT]

DAKSHITA DAS, Jt. Secy.

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL Date: 2017.09.08 09:23:26 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.